



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17102026-277239
CG-DL-W-17102026-277239

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 17—अक्टूबर 23, 2026 (आश्विन 25, 1948)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 17—OCTOBER 23, 2026 (ASVINA 25, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	455	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	971	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	9	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1763	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	4609
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	8955
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	455	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	971	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1763	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4609
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	8955
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2026

संकल्प

सं. 5(3)-बी(पी.डी.)/2023—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अक्टूबर, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:—

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
 2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
 3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
 4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
 5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
 6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
 7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
 8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
 9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
 10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

व्यासन आर.

संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितंबर 2026

सं. 9-16/2026-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. जबकि, रामचंद्र एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, निम्नलिखित कॉलेजों/संस्थानों को मिलाकर श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी के नाम पर विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा पाने के लिए यूजीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था:—

- i. श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, पुडुचेरी (एसवीएमसीएचएंडआरसी)

- ii. श्री वेंकटेश्वर डेंटल कॉलेज, पुडुचेरी (एसवीडीसी)
- iii. इंदिराणी कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग, पुडुचेरी (आईसीओएन)
- iv. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ़ पैरामेडिकल साइंसेज, पुडुचेरी (एसवीसीपीएमएस)
- v. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी, पुडुचेरी (एसवीसीपी)
- vi. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पुडुचेरी (एसवीसीईटी)

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 06.05.2026 के अपने पत्र संख्या 36-1/2025 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की गई थी। जांच के बाद, समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की कि श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, 13ए, पोंडी-विल्लिपुरम, मेन रोड अरियुर, पुडुचेरी के नाम पर विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान करने से पूर्व कुछ शर्तों की पूर्ति के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जा सकता है। समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 18.04.2026 को हुई अपनी 597वीं बैठक (मद संख्या 2.13) में विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया।

4. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी के नाम पर विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान करने से पूर्व रामचंद्र एजुकेशनल ट्रस्ट, पुडुचेरी को 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए दिनांक 25.05.2026 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया। इसके अतिरिक्त, एलओआई की शर्तों के संबंध में प्रयोजक ट्रस्ट द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अनुपालन रिपोर्ट जांच और सलाह के लिए यूजीसी को भेजी गई।

5. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने दिनांक 27.07.2026 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि प्रायोजक ट्रस्ट की अनुपालन रिपोर्ट को उसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया और समिति द्वारा श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई। समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 06.07.2026 को हुई अपनी 598वीं बैठक (मद सं. 2.18) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद्वारा यूजीसी की सलाह पर, श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था घोषित करता है, जिसमें उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित संस्थान शामिल हैं। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- i. श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 का पालन करेगा।
- ii. प्रायोजक ट्रस्ट द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- iii. रामचंद्र एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत आने वाले अन्य सभी संस्थानों (उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित को छोड़कर) को मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), अरियुर, पुडुचेरी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- iv. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- v. श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- vi. श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vii. श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- viii. श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पाठ्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।
- ix. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।

- x. श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार यूजीसी को संगम ज्ञापन (एमओए) प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- xi. श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xii. श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी इस मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xiii. श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ, अरियुर, पुडुचेरी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) बनाए, अपने छात्रों की पहचान (आइडेंटिटी) तैयार करे, उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करे और यह सुनिश्चित करे कि ये क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल पर प्रदर्शित हों और समर्थ ई-जीओवी को अपनाए।
- xiv. प्रायोजक निकाय द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व यूजीसी द्वारा तय किए गए नियमों और मानकों के अनुसार प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय के लिए अपेक्षित शैक्षणिक, प्रशासनिक, वास्तविक और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण और उनका रख-रखाव किया जाएगा।

के.एम. प्रफुल्लचंद्र शर्मा
संयुक्त सचिव

दिनांक 28 सितंबर 2026

सं. 9-25/2025- यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. जबकि, गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी (जीकेसीआईईटी सोसाइटी) द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीकेसीआईईटी), नारायणपुर, मालीग्राम, मालदा, पश्चिम बंगाल-732141 को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 19.09.2025 के अपने पत्र संख्या 45-1/2025 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की गई थी। जांच के बाद, समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की कि गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीकेसीआईईटी), मालदा, पश्चिम बंगाल को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान करने से पूर्व कुछ शर्तों की पूर्ति के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जा सकता है। समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 29.08.2025 को हुई अपनी 593वीं बैठक (मद संख्या 2.07) में विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया।

4. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर जीकेसीआईईटी सोसाइटी को तीन वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए दिनांक 08.12.2025 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया। इसके अतिरिक्त, निदेशक, जीकेसीआईईटी ने दिनांक 12.02.2026 के पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुपालन रिपोर्ट जांच और सलाह के लिए यूजीसी को भेजी गई।

5. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने दिनांक 27.07.2026 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि प्रायोजक निकाय की अनुपालन रिपोर्ट को उसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया और गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीकेसीआईईटी), पश्चिम बंगाल को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा देने की सिफारिश की गई। समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 06.07.2026 को हुई अपनी 598वीं बैठक (मद सं. 2.16) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद्वारा यूजीसी की सलाह पर, गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीकेसीआईईटी), नारायणपुर, मालीग्राम, मालदा, पश्चिम बंगाल को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:—

- i. जीकेसीआईईटी, पश्चिम बंगाल समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 का पालन करेगा।
- ii. प्रायोजक ट्रस्ट द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

- iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iv. जीकेसीआईईटी, पश्चिम बंगाल किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- v. जीकेसीआईईटी, पश्चिम बंगाल में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vi. जीकेसीआईईटी, पश्चिम बंगाल अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- vii. जीकेसीआईईटी, पश्चिम बंगाल समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।
- viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और श्री जीकेसीआईटी, पश्चिम बंगाल द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।
- ix. जीकेसीआईईटी, पश्चिम बंगाल यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को संगम ज्ञापन (एमओए) प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन /नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- x. जीकेसीआईईटी, पश्चिम बंगाल यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xi. जीकेसीआईईटी, पश्चिम बंगाल इस मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xii. जीकेसीआईईटी, पश्चिम बंगाल अनिवार्य रूप से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), उनके छात्रों की पहचान बनाएगी और डिजिटल लॉकरों में उनके क्रेडिट स्कोर को अपलोड करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में परिलक्षित हों और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएं।

के.एम. प्रफुल्लचंद्र शर्मा
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 5th October 2026

RESOLUTION

No. 5(3)-B(PD)/2023—It is announced for general information that during the year 2026-27, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st October, 2026 to 31st December, 2026. This rate will be in force w.e.f. 1st October, 2026. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).
 2. The Contributory Provident Fund (India).
 3. The All India Services Provident Fund.
 4. The State Railway Provident Fund.
 5. The General Provident Fund (Defence Services).
 6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
 7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
 8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
 9. The Defence Services Officers Provident Fund.
 10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

VYASAN R.
Joint Secretary

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 22nd September 2026

No. 9-16/2026-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. Whereas, an online application was submitted by Ramachandra Educational Trust on the UGC's Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category in the name of Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry under Section 3 of the UGC Act, 1956 consisting of the following colleges/Institutions:—

- i. Sri Venkateshwaraa Medical College Hospital and Research Centre, Puducherry (SVMCH&RC)
- ii. Sri Venkateshwaraa Dental College, Puducherry (SVDC)
- iii. Indirani College of Nursing, Puducherry (ICON)
- iv. Sri Venkateshwaraa College of Paramedical Sciences, Puducherry (SVC PMS)
- v. Shri Venkateshwaraa College of Pharmacy, Puducherry (SVCP)
- vi. Sri Venkateshwaraa College of Engineering and Technology, Puducherry (SVCET).

3. And whereas, UGC, vide its letter No. 36-1/2025 (CPP-I/DU) dated 06.05.2026, informed that the application was examined through its Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. After examination, the Committee unanimously recommended that letter of Intent (LoI) may be issued for fulfilment of certain conditions before grant of Institution deemed to be University status under distinct category in the name of Shri Venkateshwara Vidyapeeth, 13A, Pondy-Villipuram, Main Road Ariyur, Puducherry. The recommendations of the Committee were considered and approved by the Commission in its 597th meeting (item No. 2.13) held on 18.04.2026.

4. And whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued letter of Intent (LoI) dated 25.05.2026 to Ramachandra Educational Trust, Puducherry for fulfilment of certain conditions within a period of three years before granting Institution deemed to be University status under distinct category in the name of Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry. Further, the sponsoring Trust submitted compliance report in respect of conditions of LoI. The compliance report was sent to UGC for verification and advice.

5. And further whereas, UGC, vide its letter dated 27.07.2026, conveyed that the compliance report of the sponsoring Trust was accepted by its Expert Committee and the Committee recommended for grant of Institution deemed to be University status under distinct category to Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry. The recommendations of the Committee were considered and approved by the Commission in its 598th meeting (item No. 2.18) held on 06.07.2026.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby declares Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry as an Institution deemed to be University under distinct category consisting of the colleges/institutions as mentioned in para 2 above. The said declaration is subject to the following conditions:—

- i. Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry shall follow the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ii. All the undertakings given by the sponsoring Trust shall be strictly followed by the Deemed to be University.
- iii. All other Institutions (except as mentioned in para 2 above) under Ramachandra Educational Trust shall not be included under Shri Venkateshwara Vidyapeeth (Deemed to be University), Ariyur, Puducherry without previous approval of the Ministry.
- iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- v. Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- vi. The academic programmes to be offered at Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vii. Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry shall align its course with National Education Policy-2020.
- viii. Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ix. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry.
- x. Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry shall submit its MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA/Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- xi. Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- xii. Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xiii. Shri Venkateshwara Vidyapeeth, Ariyur, Puducherry shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.
- xiv. The Sponsoring body shall create and maintain the necessary academic, administrative, physical and other infrastructural facilities required for the proposed Deemed to be University, in accordance with the norms and standards prescribed by the UGC before commencement of the academic programmes.

K.M. PRAPHULLACHANDRA SHARMA
Joint Secretary

The 28th September 2026

No. 9-25/2025-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. Whereas, an online application was submitted by Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology Society (GKCIET Society) on the UGC's Portal for grant of Institution Deemed to be University status under distinct category to Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology (GKCIET), Narayanpur, Maligram, Malda, West Bengal-732141 under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, UGC, vide its letter no. 45-1/2025 (CPP-I/DU) dated 19.09.2025, informed that the application was examined through its Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. After examination, the Committee unanimously recommended that letter of Intent (LoI) may be issued for fulfilment of certain conditions before grant of Institution Deemed to be university status under distinct category to Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology (GKCIET), Malda, West Bengal. The recommendations of the Committee were considered and approved by the Commission in its 593rd meeting (Item No. 2.07) held on 29.08.2025.

4. And whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued letter of Intent (LoI) dated 08.12.2025 to GKCIET Society for fulfilment of certain conditions within a period of three years. Further, the Director, GKCIET, vide letter dated 12.02.2026, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The compliance report was sent to UGC for verification and advice.

5. And further whereas, UGC, vide its letter dated 27.07.2026, conveyed that the compliance report of the Sponsoring body was accepted by its Expert Committee and recommended for grant of Institution Deemed to be University status under distinct category to Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology (GKCIET), West Bengal. The recommendations of the Committee were considered and approved by the Commission in its 598th meeting (item No. 2.16) held on 06.07.2026.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby declares Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology (GKCIET), Narayanpur, Maligram, Malda, West Bengal as an Institution Deemed to be University under distinct category. This approval is further subject to the following conditions:—

- i. GKCIET, West Bengal shall follow the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ii. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iv. GKCIET, West Bengal shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- v. The academic programmes to be offered at GKCIET, West Bengal shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vi. GKCIET, West Bengal shall align its course with National Education Policy-2020.
- vii. GKCIET, West Bengal shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- viii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by GKCIET, West Bengal.
- ix. GKCIET, West Bengal shall submit its MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to the ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- x. GKCIET, West Bengal shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

- xi. GKCIET, West Bengal shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xii. GKCIET, West Bengal shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

K.M. PRAPHULLACHANDRA SHARMA
Joint Secretary